जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

अकादमी/पी.एच.डी./2016 दिनांक :

// अधिसूचना //

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि भारत के राजपत्र (The Gazette of India) असाधारण भाग–3 खण्ड–4 सं–196 नई दिल्ली मंगलवार दिनांक 10 मई 2016 में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना दिनांक 04 मई 2016 के परिपालन में, विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलपति जी के अनुमोदन उपरांत अध्यादेश–11 (Pre-Revised) के अन्तर्गत शोध उपाधि प्राप्त अभ्यार्थियों को निम्नांकित पांच अर्हताओं की पूर्ति करना अनिवार्य है :–

1. अभ्यर्थी को केवल नियमित (Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो।
2. कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो।
3. अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित (Refered) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो।
4. अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हो।
5. अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।

शोधार्थियों को बिन्दु क्र. 3 एवं 4 से संबंध में शपथ पत्र एवं प्रमाणिक अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है। शेष प्रक्रिया पूर्वानुसार रहेगी।

कुलाधिसचिव/परीक्षा नियंत्रक/
डी.सी.डी.सी./संकायाध्यक्ष

* Pre-revised Ordinance No.11 was in existence before implementation of UGC (Minimum standard and procedure for Award of Ph.D. degree) Regulation 2009.

शपथ – पत्र

मैं..... आत्मज/आत्मजा.....निवासी.....

..... आयु..... वर्ष, शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूं की मैं जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अध्यादेश क्रमांक–11 (Pre-Revised) के प्रावधानान्तर्गत शोधार्थी हूं। मेरा विवरण निम्नानुसार है :–

1. विषय..... संकाय.....
2. शोध पंजीयन दिनांक (रजिस्ट्रेशन)..... नामांकन क्रमांक(एनरोलमेंट नं.).....
3. शोध शीर्षक.....

   .....
4. पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा तिथि..... अनुक्रमांक.....
5. प्रवेश परीक्षा परिणाम.....पूर्णांक..... प्राप्तांक.....
6. डी.आर.सी. की तिथि..... आर.डी.सी. की तिथि.....
7. कोर्सवर्क परीक्षा में सम्मिलित होने की तिथि..... अनुक्रमांक.....
8. कोर्सवर्क परीक्षा परिणाम..... पूर्णांक..... प्राप्तांक.....
9. शोध ग्रंथ जमा करने की तिथि.....
10. पी.एच.डी. पूर्ण करने का वर्ष.....

'भारत के राजपत्र(The Gazette of India) असाधारण भाग–3 खण्ड–4 सं.–196 नई दिल्ली मंगलवार दिनांक 10 मई 2016 में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना दिनांक 4 मई 2016 के उल्लेख अनुसार मैं निम्नलिखित 05 अर्हताओं को पूर्ण करता/करती हूं :–

1	Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only
2	Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners
3	Candidate had published two research papers out of which at least one in a refered journal from out of his/her Ph.D. work
4	The candidate had presented two papers in seminars/conferences from out of his/her Ph.D. work
5	Open Ph.D. viva-voce of the candidate had been conducted.

–सत्यापन–

उक्त बिन्दु क्रमांक 3 व 4 की पूर्ति संबंधी अभिलेख मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी पूर्णतः सत्य व सही है इसमें कोई त्रुटी अथवा गलत जानकारी पाई जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

यह शपथ पत्र मेरे द्वारा आज दिनांक.....को..... में सत्यापित किया गया है।

शपथ ग्रहिता

JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR

Acad/Ph.D./2016 **Date.....**

// CERTIFICATE //

This is to certify that Mr/Mrs/Ms..... S/o,D/o,W/o,Shri..... registered under pre-revised Ordinance No. 11 was awarded Ph.D. degree in the year..... under regular mode in the subject..... under the faculty of..... Bearing the Enrollment No.....

This is further certified that he/she fulfills all the following five conditions mentioned in the UGC notification dated 4th May 2016 followed by the Gazette of India Notificatoin (Extraordinary) Part-III-Section-4 No. 196, New Delhi, on 10th May, 2016.

1. Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only
2. Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners
3. Candidate had published two research papers out of which at least one in a refered journal from out of his/her Ph.D. work
4. The candidate had presented two papers in seminars/conferences from out of his/her Ph.D. work
5. Open Ph.D. viva-voce of the candidate had been conducted.

(As approved by the Authority, mentioned in the above notification)

Rector/Controller of Exam/
DCDC/Dean

*Pre-revised Ordinance No.11 was in existence before implementation of UGC (Minimum standard and procedure for Award of Ph.D. degree) Regulation 2009.
**In this University Ph.D. Thesis is valued by 2 examiners.